बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य के नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली एवं आन्तरिक अंकेक्षण के कार्य हेतु नियुक्त एजेंसीयों के साथ विभागीय बैठक की कार्यवाही ।

दिनांक 4/02/2019 को राज्य के नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली एवं आन्तरिक अंकेक्षण के कार्य हेतु नियुक्त एजेंसीयों के साथ विभागीय स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें निम्न विभागीय पदाधिकारियों एवं एजेंसीयों ने भाग लिया ।

I. श्री संजय कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
II. श्री अरबिन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव सह सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग
III. श्री के० डी० प्रज्जोवल, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
IV. DEAS-SLPMU
V. Tebriwal Chand & Co.
VI. Vinod Singhal & Co.
VII. A P Sanzigiri & Co.
VIII. A k Salampuria & Associates
IX. R N Singh & Co.

उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया एवं निर्देश दिए गए :-

1. एजेंसी पूर्व के वर्षों के pending audit एवं एकाउंटिंग का कार्य के साथ-साथ cuncurrent वर्ष का भी कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर करेगी । cuncurrent वर्ष का कार्य अपनी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो उसका निश्चित रूप से ध्यान रखा जाय ताकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से एकाउंटिंग एवं ऑडिट का कार्य backlog नही हो ।
2. DEAS एवं ऑडिट की एजेंसी को UC तैयार कराना होगा और अपनी रिपोर्ट में उक्त तैयार UC के सम्बंध में सूचना संलग्न करना होगा ।
3. दोहरी लेखा प्रणाली की एजेंसी मासिक Trial balance एवं BRS तैयार करेंगी जिस पर एजेंसी एवं सम्बंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा साथ ही इसे विभागीय एवं सम्बंधित नगर निकाय के website पर upload करना सुनिश्चित करेगी ।

4. दोहरी लेखा प्रणाली करने वाली एजेंसी को एकाउंटिंग का कार्य तो करना ही है साथ ही साथ उन्हें नगर निकायों के रोकड़ पंजी संधारण के संबंध में विभाग को सूचना भी देनी होगी कि नगर निकाय स्तर पर रोकड़ पंजी का संधारण किया जा रहा है या नही; अगर रोकड़ पंजी का संधारण नही हो रहा है तो एजेंसी के द्वारा रोकड़ पंजी का संधारण करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
5. ऑडिटर नगर निकायों के परिसंपत्ति के audit के संबंध में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करेगा की DEAS के consulatants के द्वारा उसे ठीक प्रकार से books of Accounts में लिखा गया है एवं परिसंपत्ति रजिस्टर को ठीक से update कर दिया गया है ।
6. ऑडिटर के द्वारा किसी भी प्रकार के audit से संबंधित audit पारा का compliance करना अनिवार्य होगा ।
7. ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में नगर निकायों के प्राप्ति-भुगतान एवं आय-व्यय के संबंध में contract agreement में दिए गए format में सूचना देनी होगी।
8. नगर निकाय स्तर पर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिता पाए जाने पर DEA एवं आन्तरिक अंकेक्षण की एजेंसी तुरन्त SLPMU / नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचित करेगी ।
9. ऑडिटर दोहरी लेखा प्रणाली के कार्यों संबंधी अधतन स्थिति संबंधी सूचना अपने रिपोर्ट में देगा ।
10. अगर नगर निकायों में एजेंसीयों के द्वारा नियुक्त स्टाफ आवश्यक न्यूनतम दिवस से कम पाए जाते है या बिना किसी पूर्व में दी गई सूचना के, अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो उस स्टाफ के संबंध में एजेंसी का input-based payment day one से कटौती की जाएगी ।
11. उपस्थित CA firms के कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा ICAI के professional Ethics के code of conduct का हवाला देते हुए बताया गया कि अगर पूर्व का ऑडिटर का fees बकाया है तो वह audit का कार्य नही कर सकते है अगर audit करते है तो उन्हें professionaly missconduct के लिए दोषी पाया जायेगा जिसके लिए उन्हें पूर्व के ऑडिटर से NOC प्राप्त करना आवश्यक है । पूर्व से कार्यरत ऑडिटर ने NOC तो दिया है परन्तु subject to FY 2016-17 fees pending के साथ दिया है ।

    इस संबंध में विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि FY 2016-17 की बकाया audit fee के भुगतान के संबंध में विभाग के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जिसे जल्द ही भुगतान कर दिया जायेगा । अतः agency audit का कार्य start कर सकती है ।

12. उपस्थित CA firms के कुछ प्रतिनिधियों ने audit रिपोर्ट को जमा करने के लिए जो timeline contract agreement में दिया गया है उसे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया। इस संबंध में विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए जो time-line निर्धारित की गई है उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जायेगा। अतः रिपोर्ट contract agreement के अनुसार ही जमा करना होगा।

13. उपस्थित CA firms के प्रतिनिधियों ने नगर निकाय को विभागीय स्तर से एक पत्र जारी करने के लिए कहा गया जिससे उन्हें नगर निकाय स्तर से कार्य करने में आसानी हो। इस संबंध में विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रधान सचिव के स्तर से एक पत्र नगर निकायों को निर्गत किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक नगर निकाय अपने स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त करेगा जो DEAS एवं आन्तरिक अंकेक्षण के कार्य के सम्बंध में एजेंसियों को साथ coordinate करेगा एवं एजेंसियों को आवश्यक document उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगा।

14. उपस्थित CA firms के प्रतिनिधियों ने Audit रिपोर्ट पर नगर निकायों के नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में बताया कि कई पदाधिकारी उक्त प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने में काफी विलम्ब करते है। इस संबंध में विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऑडिटर audit रिपोर्ट को नगर निकायों के नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी के साथ discuss करेंगे साथ ही discussion नोट तैयार करेंगे जिस discussion नोट पर ऑडिटर एवं नगर निकायों के नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा एवं इस discussion नोट को audit रिपोर्ट का हिस्सा बनाएगा। यदि किसी निकाय के पदाधिकारी के स्तर से कोई समस्या होगी तो विभाग द्वारा उन्हें अलग से निर्देश दिया जायेगा।

15. उपस्थित CA firms के प्रतिनिधियों ने बताया की नगर निकाय स्तर पर काम करने के लिए जगह एवं computer system उपलब्ध नही कराया जाता है। विभाग द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव के स्तर से एक पत्र नगर निकायों को निर्गत किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक नगर निकाय विभाग के द्वारा नियिक्त की गई एजेंसी को कार्य करने के लिए कार्यालय में जगह एवं computer system बिना बिलम्ब किए हुए उपलब्ध करायेंगे।

16. M/S Vinod Singhal & Co. को तिरहुत-2 group (कुल 13 नगर निकाय) के मधुबन नगर पंचायत का कार्य भी मिला है, परन्तु मधुबन delist हो जाने की वजह से वह नगर

पंचायत नही रहा है । अतः एजेंसी को कार्य अब कुल 12 नगर निकायों में करना होगा जिस के लिए उन को भुगतान भी सिर्फ 12 नगर निकायों के लिए किया जायेगा ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

18.02.19

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक....289.... न० वि० एवं आ० वि०/ पटना, दिनांक 20.02.19

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ DEAS-SLPMU/ Tebriwal Chand & Co./ R. N. singh & Co. / Vinod Singhal & Co. / A. K. Salampuria & Associates / A P Sanzigiri & Co. / G K Sureka & Co.

18.02.19

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग